

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-3 खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, बुधवार, 23 मार्च, 1994

चैत्र 2, 1916 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

## विधायी अनुभाग-1

संख्या - 488/सत्रह-वि-1-1 (क) - 6-1994

लखनऊ, 23 मार्च 1994

अधिसूचना

## विविध

"भारत का संविधान" अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1994 पर दिनांक 22 मार्च, 1994 को अनुमति प्रदान की और यह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण)

अधिनियम, 1994

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों के पक्ष में लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की, ओर उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

## अधिनियम

परिभाषाएं

1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित संक्षिप्त नाम जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए और प्रारम्भ आरक्षण) अधिनियम, 1994 कहा जाएगा।

(2) यह 11 दिसम्बर, 1993 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2- इस अधिनियम में -

(क) लोक सेवाओं और पदों के सम्बन्ध में "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य ऐसी सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है :

(ख) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है:

(ग) "लोक सेवाओं और पदों" का तात्पर्य राज्य के कार्यकलाप से सम्बन्धित सेवाओं और पदों से है और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित की सेवार्यें और पद भी हैं :-

(एक) स्थानीय प्राधिकारी :-

(दो) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 2 के खण्ड (च) के यथा परिभाषित सहकारी समिति, जिसमें राज्य सरकार द्वारा धृत अंश समिति की अंश पूंजी के इक्यावन प्रतिशत के कम न हो :

(तीन) किसी केन्द्रीय या उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई बोर्ड या कोई नियम या कोई कानूनी निकाय जो राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हों या कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथा परिभाषित कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा वृत्त समादत्त शेयर पूंजी इक्यावन प्रतिशत से कम न हो :-

(चार) संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्प संख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित किसी संस्था के सिवाय राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई शिक्षण संस्था या जो राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करता हो, जिसके अन्तर्गत किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित कोई विश्वविद्यालय भी है :-

(पांच) जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को सरकार के आदेशों द्वारा, आरक्षण लागू था और जो उपखण्ड (एक) से (चार) के अधीन अच्छादित नहीं है।

(घ) किसी रिक्त के सम्बन्ध में "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि, जिसके भीतर ऐसी रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय, से है।

अनुसूचित जातियों,  
अनुसूचित जन-जातियों  
और अन्य पिछड़े वर्गों  
के पक्ष में आरक्षण

3-(1) लोक सेवाओं और पदों में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के पक्ष में, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, उपधारा (5) में निर्दिष्ट रोस्टर के अनुसार रिक्तियों का, जिन पर भर्ती की जानी है, निम्नलिखित प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा :-

(क) अनुसूचित जातियों के मामले में इक्कीस प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जन-जातियों के मामले में दो प्रतिशत

(ग) नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के मामले में सत्ताइस प्रतिशत

परन्तु खण्ड (ग) के अधीन आरक्षण अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों की श्रेणी पर लागू नहीं होगा।

(2) यदि, भर्ती के किसी वर्ष के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन व्यक्तियों की किसी श्रेणी के लिए आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरे रह जाय तो उस श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों में से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये विशेष भर्ती, तीन से अनाधिक, उतनी बार की जायेगी जैसी आवश्यक समझी जाय।

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट तीसरी ऐसी, भर्ती में अनुसूचित जन-जातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्ति को भरने के लिए उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जायगी।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों को अनुपलब्धता के कारण उपधारा (3) में निर्दिष्ट विशेष भर्ती के पश्चात् भी बिना भरी रह जाती है तो उसे पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाले अगले वर्ष में जिसमें भर्ती की जानी है, इस शर्त के अधीन अग्रणीत किया जा सकेगा कि उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिए रिक्तियों का कुछ आरक्षण उस वर्ष में कुछ रिक्तियों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन आरक्षण को लागू करने के लिए अधिसूचना ओदश द्वारा, एक रोस्टर जारी करेगी जो अनवरत् रूप से लागू रहेगा, जब तक यह समाप्त न हो जाय।

(6) यदि उपधारा (1) में उल्लिखित किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है। तो उसे उपधारा (1) के अधीन ऐसी श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

(7) यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार के आदेशों के अधीन आरक्षण लागू हो तो ऐसे सरकारी आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक उन्हें उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाये।

अधिनियम के  
अनुपालन के लिए  
उत्तरदायित्व और शक्ति

4- (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

	<p>(2) राज्य सरकार, इसी रीति से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी में ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार विनिहित कर सकती है जो उपधारा (1) के अधीन उसे सौंपे गये उत्तरदायित्व के प्रभावी निर्वहन के लिए आवश्यक हो।</p>
शास्ति	<p>5-(1) कोई नियुक्ति प्राधिकारी या अधिकारी या कर्मचारी जिसे धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, इस अधिनियम के प्रयोजनों का, यथास्थिति जानबूझकर उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के आशय से कोई कार्य करता है तो यह, दोष सिद्ध होने पर, ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।</p> <p>(2) कोई भी न्यायालय इस धारा के अधीन किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार की या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश से इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की, पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं करेगा।</p> <p>(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण, किसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः किया जायेगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 की उपधारा (1), धारा 263, धारा 264 और धारा 265 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।</p>
अभिलेख मांगने की शक्ति	<p>6- यदि राज्य सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि धारा 3 की उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं भी श्रेणियों का कोई व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों या इसके अधीन बनाये गये नियमों या इस निमित्त सरकार के आदेशों के अनुपालन के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है तो वह ऐसे अभिलेखों को मांग सकती है और ऐसी कार्यवाही कर सकती है जो वह आवश्यक समझे।</p>
चयन समिति में प्रतिनिधित्व	<p>7- राज्य सरकार, आदेश द्वारा, चयन समिति में, ऐसी सीमा तक और ऐसे रीति से जैसी आवश्यक समझी जाय और जहां ऐसी समिति किसी सेवा नियमों के अधीन या अन्यथा गठित की जाय, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारिकों के नाम - निर्देशन की व्यवस्था कर सकती है।</p>
छूट और शिथिलीकरण	<p>8-(1) राज्य सरकार, धारा 3 के उपधारा (1) में उल्लिखित व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में, आदेश द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा या साक्षात्कार के लिए फीस के सम्बन्ध में ऐसी छूट और उच्चतर आयु सीमा के सम्बन्ध में शिथिलीकरण कर सकती है, जैसी वह आवश्यक समझे।</p> <p>(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों के पक्ष में सीधी भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में अन्य छूटों और शिथिलीकरणों जिसके अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा, या साक्षात्कार के लिए फीस छूट और उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण भी सम्मिलित है, के सम्बन्ध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को प्रवृत्त सरकार के आदेश, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, लागू रहेंगे जब तक उन्हें यथास्थिति, उपान्तरित या विखण्डित न कर दिया जाय।</p>

जाति प्रमाण-पत्र	9- इस अधिनियम के अधीन उपबन्धित आरक्षण के प्रयोजनों के लिए जाति प्रमाण-पत्र, ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से और ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा उपबन्ध करे, जारी किया जायेगा।
कठिनाईयों को दूर करना	10- यदि इस अधिनियम के उपबन्धों की कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाईयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।
सदभावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण	11- इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायगी।
नियम बनाने की शक्ति	12- राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।
अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति	13- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों को संशोधित कर सकेगी और गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूचियों को तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।
आदेशों इत्यादि का रखा जाना	14- धारा 3 की उपधारा (5), धारा 4 की उपधारा (1) और (2) और धारा 10 के अधीन दिये गये प्रत्येक आदेश और धारा 13 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना को यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे जैसे कि वे किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में प्रवृत्त होते हैं।
अपवाद	<p>15-(1) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे मामलों पर प्रवृत्त नहीं होंगे जिनमें चयन प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रारम्भ हो चुकी हो और ऐसे मामले विधि के उपबन्धों के और सरकार के आदेशों के अनुसार, जैसे कि वे ऐसे प्रारम्भ के पूर्व थे, व्यवहृत किये जायेंगे।</p> <p>स्पष्टीकरण :- जहाँ सुसंगत सेवा नियमों के अधीन की जाने वाली भर्ती का आधार -</p> <p>(एक) केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार हो, वहाँ, यथास्थिति, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने पर, या</p> <p>(दो) लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हों, वहाँ लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने पर, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ हुई समझी जायेगी।</p> <p>(2) इस अधिनियम के उपबन्ध उत्तर प्रदेश सेवा काल में मृत सरकार सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के अधीन की जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे।</p>

<p>निरसन और अपवाद</p>	<p>16-(1) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए उत्तर प्रदेश आरक्षण) अभिनियम, 1980 उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अध्यादेश, 1994 एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।</p> <p>(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों और अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।</p>	<p>उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1989 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1993 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 1994</p>
-----------------------	---	---

## अनुसूची-एक

(देखिए धारा 2 (ख))

1.	अहीर	29.	नायक
2.	अरख	30.	फकीर
3.	काछी	31.	बंजारा
4.	कहार	32.	बढ़ई
5.	केवट या मल्लाह	33.	बारी
6.	किसान	34.	बैरागी
7.	कोइरी	35.	बिन्द
8.	कुम्हार	36.	बियार

9.	कुर्मी	37.	भर
10.	कम्बोज	38.	भुर्जी या भड़भूजा
11.	कसगर	39.	भठियारा
12.	कुंजड़ा या राईन	40.	माली, सैनी
13.	गोसाई	41.	मनिहार
14.	गूजर	42.	मुराव या मुराई
15.	गड़ेरिया	43.	मोमिन (अंसार)
16.	गद्दी	44.	मिरासी
17.	गिरि	45.	मुस्लिम कायस्थ
18.	चिकवा (कस्साव)	46.	नद्दाफ (धुनिया), मन्सूरी
19.	छीपी	47.	मारछा
20.	जोगी	48.	रंगरेज
21.	झोजा	49.	लोध, लोधा, लोधी, लोट, लोधी राजपूत
22.	डफाली	50.	लोहार
23.	तमोली	51.	लोनिया
24.	तेली	52.	सोनार

25.	दर्जी	53.	स्वीपर (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)
26.	धीवर	54.	हलवाई
27.	नक्काल	55.	हज्जाम (नाई)
28.	नट (जो अनुसूचित जातियों की श्रेणी में सम्मिलित न हो)		

## अनुसूची - दो

### (देखिये धारा 3 (1))

1- निम्नलिखित की पुत्र या पुत्री :-

(क) सीधी भर्ती किया गया या किसी राज्य सेवा पदोन्नत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा या अन्य केन्द्रीय सेवा का कोई सदस्य : या

(ख) उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा), उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा या किसी अन्य राज्य सेवा का कोई सदस्य, जो ऐसी सेवा में सीधी भर्ती से आया हो : या

(ग) भारत सरकार के किसी विभाग या मंत्रालय या ऐसे विभाग या मंत्रालय के अधीन शैक्षिक, शोध या किसी अन्य संस्था के समूह "क" / श्रेणी-एक का ऐसा अधिकारी जो उप श्रेणी (क) में सम्मिलित नहीं है : या

(घ) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्था के समूह "क" / श्रेणी-एक का ऐसा अधिकारिक जो उपश्रेणी (ख) में सम्मिलित नहीं है : या

(ङ) सशस्त्र सेना या अर्द्धसैनिक बल का कोई अधिकारी जो कर्नल या समकक्ष पंक्ति से निम्न पंक्ति का न हो :

परन्तु सेवा के ऐसे सदस्य या अधिकारी की वेतन से आय प्रतिमास दस हजार रुपये या अधिक हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसका या उसकी पत्नी का नगर क्षेत्र में अपना मकान हो।

2- चिकित्सक, शल्य चिकित्सक, अभियन्ता, वकील, वास्तुविद, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की वृत्ति में लगे या सम्पर्क और सूचना व्यवसायी, प्रबन्ध और अन्य परामर्शी, फिल्म कलाकार और अन्य फिल्म व्यवसायी या शिक्षण संस्था या कोचिंग इन्स्टीट्यूट चलाने वाले या शेयर या स्टाक दलाल या मनोरंजन के व्यवसाय में लगे हुए किसी व्यक्ति का पुत्र या पुत्री :

परन्तु उसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो।



- 3- किसी व्यवसायी, जिसकी अनवरत तीन वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम बीस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।
- 4- किसी उद्योगपति, जिसकी चालू इकाईयों में विनियोजन का स्तर दस करोड़ रुपये से अधिक हो और ऐसी इकाइयां वाणिज्यिक उत्पादन में कम से कम पांच वर्षों से लगी हों और उसकी पत्नी उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।
- 5- किसी व्यक्ति, जिसके पास उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन नियम सीमा के भीतर जोत हो, जिसकी कृषि से आय को छोड़ कर वेतन, व्यवसाय या उद्योग आदि जैसे स्रोतों से किसी वित्तीय वर्ष में आय दस लाख रुपये हो और उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो, का पुत्र या पुत्री।
- 6- किसी व्यक्ति, जो उपरिलिखित श्रेणियों में सम्मिलित न हो, जिसकी सभी स्रोतों से अनवरत तीन वित्तीय वर्षों की औसत आय दस लाख रुपये प्रति वर्ष से कम न हो, उसकी पत्नी या उसका पति कम से कम स्नातक हो और उसके परिवार के पास कम से कम दस लाख रुपये की अचल सम्पत्ति हो, का पुत्र या पुत्री।

आज्ञा से,  
नरेन्द्र कुमार नांग,   
सचिव